कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर
NAAC – 'A' Grade www.krgcgwalior.org Phone No. 0751- 2625495

क्र0

दिनांक 05/5/26.

# आवश्यक सूचना

स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले ऐसे सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो अपने संकाय/विषय के स्थान पर अन्य संकाय/विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं अर्थात कक्षा 12वीं उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो अपने संकाय के स्थान पर स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में अन्य संकाय में प्रवेश लेना चाहते हैं एवं स्नातक उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो मेजर, माइन विषय के स्थान पर स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अन्य विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हे अन्य संकाय/विषय में प्रवेश लेने के लिये चलित साक्षात्कार देना होगा। उक्त साक्षात्कार के माध्यम से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण–पत्र दिया जावेगा। विज्ञान संकाय/विषय में प्रवेश लेने हेतु चलित साक्षात्कार का आयोजन शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर में किया जावेगा तथा कला/वाणिज्य संकाय/विषय में प्रवेश लेने हेतु चलित साक्षात्कार का आयोजन शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई स्वशासी महाविद्यालय ग्वालिय में किया जायेगा।

(डॉ. सुष्मिता श्रीवास्तव)
नोडल अधिकारी
ऑनलाईन प्रवेश

5/5/26
(डॉ. साधना श्रीवास्तव)
प्राचार्य

प्राचार्य
शा. कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

Scanned with OKEN Scanner

5.1 स्नातक स्तर हेतु :- 10+2 परीक्षा एवं समकक्ष उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी:

| स.क्र. | 10+2 अर्हकारी परीक्षा | स्नातक कक्षा में प्रवेश |
|---|---|---|
| 1 | विज्ञान | विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय अथवा अन्य संकाय में प्रवेश हेतु संबंधित विषय/संकाय में CUET/विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो |
| 2 | वाणिज्य | वाणिज्य संकाय के सुसंगत विषय अथवा अन्य संकाय में प्रवेश हेतु संबंधित विषय/संकाय में CUET/ विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो |
| 3 | कला | कला संकाय के सुसंगत विषय अथवा अन्य संकाय में प्रवेश हेतु संबंधित विषय/संकाय में CUET/ विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो |
| 4 | कृषि | बी.एस.सी. कृषि अथवा जीव विज्ञान समूह के संबद्ध विषयों जैसे माईक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी आदि विषय अथवा |

| | | |
|---|---|---|
| | | अन्य संकाय में प्रवेश हेतु संबंधित विषय/संकाय में CUET/ विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो |
| 5 | गृह विज्ञान | गृह विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय अथवा अन्य संकाय में प्रवेश हेतु संबंधित विषय/संकाय में CUET/ विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो |
| 6 | व्यावसायिक पाठ्यक्रम | 5.1.2 अनुसार अनुसूची में दर्शित विषय(विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक) अथवा अन्य संकाय में प्रवेश हेतु संबंधित विषय/संकाय में CUET/ विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो |

नोट :- BCA /BBA के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के नियमों के आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

5.1.1 पात्रता संबंधी स्पष्टीकरण:-

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियेट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

स्पष्टीकरण- मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी.बोर्ड, से मुक्त बोर्ड/एम.पी.बोर्ड/पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य बोर्ड से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रवेश पंजीयन से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रथम वरीयता के महाविद्यालय से सम्बन्धित विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण-पत्र ऑनलाईन पंजीयन के समय विद्यार्थी को अपलोड करना होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

5.2 स्नातकोत्तर स्तर (दो वर्षीय /04 सेमेस्टर) हेतु - स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.कॉम. / एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

| स्नातकोत्तर दो वर्षीय / 4 सेमेस्टर | | |
|---|---|---|
| स.क्र. | कक्षा | अर्हकारी परीक्षा |
| 1 | एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर | बी.कॉम./बी.कॉम (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स ) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी.कॉम में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो। |
| 2 | एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर | बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स ) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी.एस.सी. में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र हो। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो। |
| 3 | एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर | बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स ) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी.एस.सी. में गृहविज्ञान विषय के साथ स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है अथवा सम्बन्धित विषय में CUET विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो। |
| 4 | एम.ए. प्रथम सेमेस्टर | स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स ) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है अथवा सम्बन्धित विषय में CUET या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हो। |

Scanned with OKEN Scanner

| स्नातकोत्तर एक वर्षीय / 2 सेमेस्टर | | |
|---|---|---|
| स.क्र. | कक्षा | अर्हकारी परीक्षा |
| 1 | एम.कॉम. (स्नातकोत्तर एक वर्षीय) | राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.कॉम. ऑनर्स (4 वर्षीय) अथवा बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च(4 वर्षीय) |
| 2 | एम.एस.सी. (स्नातकोत्तर एक वर्षीय) | राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.एस.सी. ऑनर्स(4 वर्षीय) अथवा बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च(4 वर्षीय) |
| 3 | एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) (स्नातकोत्तर एक वर्षीय) | राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.एस.सी. गृहविज्ञान ऑनर्स(4 वर्षीय) अथवा बी.एस.सी. गृहविज्ञान ऑनर्स विथ रिसर्च(4 वर्षीय)। |
| 4 | एम.ए. (स्नातकोत्तर एक वर्षीय) | राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.ए. ऑनर्स(4 वर्षीय) अथवा बी.ए. ऑनर्स विथ रिसर्च(4 वर्षीय)। |

5.2.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण:- मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी शासकीय विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5.2.2 पी.जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

## 5.3. एल.एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक प्रतिशत –

| वर्ग | न्यूनतम अंक प्रतिशत |
|---|---|
| सामान्य वर्ग | 45% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 42% |
| अनुसूचित जाति/जनजाति | 40% |

5.3.1 एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक प्रतिशत : हायर सेकण्डरी एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवी) में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे-

| वर्ग | न्यूनतम अंक प्रतिशत |
|---|---|
| सामान्य वर्ग | 45% |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 42% |
| अनुसूचित जाति/जनजाति | 40% |



Scanned with OKEN Scanner